



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



22 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 149 राँची, मंगलवार,

12 मार्च, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

16 जनवरी, 2024

संख्या-8/ आरोप-05/2023 का० 335--झारखण्ड राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राजेन्द्र प्रसाद राजेश, तत्कालीन अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची सम्पति-सेवानिवृत्त (तिथि- 30.04.2023) के विरुद्ध आरोप की संचिका सम्बन्धित पदाधिकारी को उपस्थापित नहीं करके दूसरे पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करने, श्री लाल बहादुर सिंह सजायफ्ता व्यक्ति को साजिश के तहत अनुचित रूप से वित्तीय लाभ पहुँचाने, श्री लाल बहादुर सिंह तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पेटरवार, बोकारो की सजायफ्ता की तिथि-13.10.2018 में दिनांक-15.09.2021 तक अनुमान्यता से अधिक अनुचित रूप से भुगतान हेतु गलत प्रस्ताव देकर आदेश निर्गत कराये गये अधिक राशि का भुगतान करने संबंधी आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है ।

2 श्री राजेश के विरुद्ध स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1054 दिनांक-04.05.2023 द्वारा साक्ष्य सहित आरोप-पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-3134 दिनांक-01.06.2023 तथा स्मार पत्र संख्या-4538 दिनांक-07.08.2023 के पश्चात् भी श्री राजेश से स्पष्टीकरण अप्राप्त है। फलस्वरूप प्रतिवेदित आरोपों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित मानते हुए इसकी जाँच हेतु झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रमाकांत सिंह (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय, अवर सचिव, स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

गुलाम सरवर,
सरकार के अवर सचिव।
